भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.868

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 (शक)

अभिकल्प और सड़क सुरक्षा

868. श्री हरि मांझी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री सी. महेंद्रन:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री आधलराव पाटील शिवाजी राव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित अभिकल्प और सड़क सुरक्षा मानकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि दोषपूर्ण अभिकल्प और अवसंरचना योजना के अतिरिक्त यातायात मानकों के खराब प्रवर्तन, चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लापरवाही भरे व्यवहार के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सड़क सुरक्षा के संबंध में कोई रिपोर्ट जारी की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के विशेष संदर्भ के साथ इस रिपोर्ट में क्या टिप्पणियां की गई हैं;
(ङ) क्या कोई परिपत्र जारी किया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेन्सियों से कहा गया है कि अभिकल्प, निर्माण और फैलाव कार्य के दौरान सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करें; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मौत और मृत्यु-दर में कमी लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा सहित डिजाइन के लिए मानक भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा कोड और अन्य प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी सुरक्षा मानकों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है ।

(ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है । इस नीति में विभिन्न नीतिगत उपाय तैयार किए गए हैं जैसे कि जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि ।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है ।

(iii) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया है ।

(iv) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरी (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात निदान नामक चार सड़क सुरक्षा उपायों पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है ।

(v) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है ।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा ।

(vii) राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण ।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान ।

(ix) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे कि सीट बेल्ट, पावर-स्टियरिंग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि ।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को क्रेनें और एम्बुलेंस प्रदान करना । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए प्रत्येक खंड पर 50 किमी की दूरी पर एंबुलेंसें प्रदान करता है ।

(xi) ब्लैक स्पाटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) का अभिनिर्धारण और दोष निवारण ।

(xii) रारा-8 के गुड़गांव – जयपुर, वड़ोदरा – मुंबई खंड और रारा-33 के रांची – रारगांव – महुलिया खंड पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं ।

(ग) और (घ): जी हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2015 जारी की गई है । उक्त प्रकाशन में वर्ष 2013 के दौरान भारत में कुल 1,37,572 सड़क घातकताएं सूचित की गई हैं । सड़क प्रयोक्ता श्रेणी के संदर्भ में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति सूचित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

सड़क प्रयोक्ता	**मारे गए व्यक्ति**
चालक, चार पहिया कार और हल्के वाहन	7%
यात्री, चार पहिया कार और हल्के वाहन	10%
2 अथवा 3 पहिया मोटर सवार	34%
साइकिल चालक	4%
पैदल यात्री	9%
चालक/यात्री भारी ट्रक	13%
चालक/यात्री बस	7%
अन्य	16%

(ड.) और (च): जी हां । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के लिए सड़क प्राधिकरणों पर समय-समय पर जोर देता रहा है ।

******